न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, तारानगर जिला चूरू
बइजलास राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या 36 सन् 2020
अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अनुवान मालाराम बनाम गणपतराम
निर्णय दिनांक : 28.01.2025

मालाराम पुत्र श्योचन्द जाति जांगिड़ निवासी खरतवासिया तहसील तारानगर (चूरू)

– वादी –

बनाम

गणपतराम दत्तक पुत्र नानकराम जाति जांगिड़ नि. खरतवासिया तहसील तारानगर (चूरू)

–प्रतिवादी –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रतन कुमार चाचान वास्ते वादी।
2. प्रतिवादी गणपतराम के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही।

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0 एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख.नं. 10 तादादी 04–03 बीघा, ख.नं. 53 तादादी 01–18 बीघा, ख.नं. 75 तादादी 02–13 बीघा, ख.नं. 457/43 तादादी 07–00 बीघा, ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा कुल तादादी 54–04 बीघा रोही ग्राम बीघरान तहसील तारानगर का वादी एकमात्र खातेदार व काश्तकार है। कृषि भूमि ख.नं. 34 तादादी 12–15 बीघा, ख.नं. 76 तादादी 03–16 बीघा, ख.नं. 460/51 तादादी 27–10 बीघा कुल तादादी 44–01 बीघा रोही ग्राम बीघरान का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी गणपतराम है। वादी की भूमि ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा के उत्तरी ओर चिपते ही प्रतिवादी गणपतराम की कृषि भूमि ख.नं. 460/51 तादादी 27–10 बीघा भूमि पड़ती है। वादी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है व प्रतिवादी काफी शातिर व लालची किस्म का व्यक्ति है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.03.2020 को वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा कृषि भूमि के उत्तरी हिस्से की 02–00 बीघा भूमि पर बिना कानूनी सम्यक प्रक्रिया के वादी को बलात बेकब्जा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच आपसी रिश्तेदारों में अनेक पंचायतें हुई, जिसमें यह तय हुआ कि वादी अपने स्तर पर तहसीलदार तारानगर से अपनी व प्रतिवादी की कृषि भूमि की संयुक्त पैमाइश करवायेगा। अगर वादी की भूमि प्रतिवादी की तरफ निकलेगी तो प्रतिवादी उसे खाली कर वादी को दे देगा। इस पर वादी द्वारा तहसीलदार महोदय तारानगर के समक्ष भूमि पैमाइश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 21.06.2020 को मौका पर जाकर पैमाइश की तो वादी के उत्तरी हिस्से की 02–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी का नाजायज कब्जा पाया गया। जो प्रतिवादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 460/51 तादादी 27–10 बीघा भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

दक्षिणी हिस्से की तरफ पाया गया। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 22.06.2020 को नाजायज कब्जे को खाली कर वादी को सुपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ऐसा करने से इनकार हो गया। ऐसी सूरत में वादी के लिये प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

प्रतिवादी, वादी की कृषि भूमि ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा भूमि के उत्तरी तरफ की 02–00 बीघा भूमि पर नाजायज बलात कब्जा कर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है व फसल काश्त कर आमदनी पैदा कर रहा है जिसकी ऐवज में वादी को प्रतिवादी से 10,000/– हजार रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से अन्तरवर्ती क्षतिपूर्ति दिलवाने का भी हक अधिकार रखता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 22.06.2020 को विवादित कृषि भूमि ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा भूमि के उत्तरी तरफ की 02–00 बीघा भूमि बमुकाम खरतवासिया तहसील तारानगर में खाली करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ऐसा करने से स्पष्ट इनकार हो गया। अतः यही तारीख वाद कारण है व वादाधार वाद वादी को विरुद्ध प्रतिवादी उसके द्वारा किये गये नाजायज बलात कब्जा से हासिल है। आदि–आदि।

इस प्रकार वादी ने अपनी कृषि भूमि ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा के उत्तरी तरफ की 02–00 बीघा से प्रतिवादी को बेदखल कर इसका कब्जा दिलवाने तथा उस पर प्राप्त लाभ की ऐवज में प्रतिवादी की बेदखल होने तक के प्रतिवर्ष 10,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से अन्तरवर्ती क्षतिपूर्ति राशि के रूप से दिलवाई जाने का अनुतोष चाहा।

वाद प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। जिस पर दिनांक 04.09.2020 को प्रतिवादी स्वयं उपस्थित आया। जवाब पेश नहीं किया गया तो दिनांक 18.04.2022 को प्रतिवादी का जबाब बन्द किया गया। अन्त में अनुपस्थित रहने पर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का आनन्दसिंहपुरा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादी की भूमि के खसरा नम्बर 459/51 का मौका कब्जा राजस्व रिकॉर्ड के बजाय 2 बीघा कम तथा प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 460/51 का मौका कब्जा राजस्व रिकॉर्ड के बजाय 02 बीघा अधिक होना अंकित है। अतः मौका कब्जा वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार तारानगर को लिखा गया। जिस पर तहसीलदार तारानगर से दिनांक 31.08.2023 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वाद का कोई खण्डन पेश नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। दिनांक 16.05.2022 को साक्ष्यवादी में गवाह मालाराम, भानीराम उर्फ भवानीशंकर व

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

मनीराम के शपथ पत्र पेश किये गयें। इनके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील वादी ने साक्ष्य में पटवारी हल्का आनन्दसिंहपुरा के साक्ष्य कराना चाहा तथा हल्का पटवारी के सम्मन तलवाना प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का को तलब किया गया। दिनांक 03.10.2023 को हल्का पटवारी आनन्दसिंहपुरा श्री सुरेश कुमार करवा उपस्थित आए। इनके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील वादी के निवेदन पर साक्ष्य वादी बन्द किये गयें। इस प्रकार साक्ष्य वादी में निम्नांकित लिखित और मौक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :-

1. प्रमाणित नकल जमाबन्दी ख.न. 459/51 ग्राम बीघरान संवत् 2074-77 – प्रदर्श 1
2. प्रमाणित नकल नक्शा ख.न. 459/51, 460/51 रोही ग्राम बीघरान – प्रदर्श 2
3. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ख0 न0 460/51 रोही ग्राम बीघरान – प्रदर्श 3
4. प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र बाबत पैमाईश दिनांक 10.06.2020 – प्रदर्श 4
5. प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश बाबत पैमाईश दिनांक 10.06.2020 – प्रदर्श 5
6. प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2020 रोही ग्राम बीघरान – प्रदर्श 6
7. तहसीलदार, तारानगर को जारी पत्र क्रमांक 716 दिनांक 22.03.2023 – प्रदर्श 7
8. मूल जाचं रिपोर्ट हल्का पटवारी आनन्दसिंहपुरा – प्रदर्श 8
9. बयान गवाह मालाराम पीडब्ल्यू 1
10. बयान गवाह भानीराम उर्फ भवानीशंकर पीडब्ल्यू 2
11. बयान गवाह मनीराम पीडब्ल्यू 3
12. बयान पटवार हल्का आनन्दसिंहपुरा पीडब्ल्यू 4

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी ने उसकी कृषि भूमि ख.नं. 459/51 तादादी 38-10 बीघा भूमि के उत्तरी तरफ की 02-00 बीघा भूमि पर बलात् कब्जा कर अपनी भूमि में मिला लिया है। पंचायतें की गई। पैमाईश भी करवाई गयी। पैमाईश में कब्जा साबित हुआ। प्रतिवादी ने नहीं छोड़ा। न्यायालय द्वारा भी पैमाईश के आदेश दिये गये। कब्जा पाया गया है। दावा प्रमाणित है। अतः प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलवाया जाये तथा प्रतिवादी के बेदखल नहीं होने तक प्रतिवर्ष 10,000/- रूपये प्रति बीघा के हिसाब से अन्तरवर्ती क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाये।

वकील वादी की बहस पर ससम्मान मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 459/51 तादादी 38-10 बीघा मौके पर 2 बीघा कम होना तथा खसरा नम्बर 460/51 तादादी 27-10 मौके पर 2 बीघा अधिक होना अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की पुष्टी हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पुनः तलब की गई तहसीलदार तारानगर की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.05.2023 के अनुसार वादी मालाराम के

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

खेत खसरा नम्बर 459/51 में मौके पर 5 गठ्ठा चौड़ाई व 151 गठ्ठा लम्बाई कुल 755 गठ्ठा अर्थात 1–17.5 बीघा भूमि कम होना पाई गई जो प्रतिवादी गणपतराम के खेत खसरा नम्बर 460/51 में शामिल होकर इसका बीघा 01–17.5 बीघा अधिक भूमि पर कब्जा होना पाया गया। नाजायद कब्जा जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में लाल डोटेड लाईन से अंकित कर दर्शाया गया है। इसके समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–4 श्री सुरेश कुमार कस्वा हल्का पटवारी ने बयान कलमबद्ध करवाये है। वाद के समर्थन में गवाहान मालाराम, भानीराम उर्फ भवानीशंकर व मनीराम द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित आकर शपथ पत्र प्रस्तुत किये है तथा बयान कलमबद्ध करवाये है।

उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों, बयान गवाहान एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर से प्रतिवादी द्वारा वादी के खेत खसरा नम्बर 459/51 तादादी 38–10 बीघा रोही ग्राम बीघरान तहसील तारानगर के उत्तरी तरफ की 01–17.5 बीघा पर नाजायद कब्जा करना स्पष्ट प्रमाणित हुआ है। प्रतिवादी द्वारा दावा का कोई खण्डन भी पेश नहीं किया गया। अतः वाद वादी बरूये जांच रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर दिनांक 24.05.2023 आंशिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी बरूये जांच रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर दिनांक 24.05.2023 डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी गणपतराम को वादी के खातेदारी खेत ख.नं. 459/51 तादादी 38–10 बीघा भूमि के उत्तरी तरफ की 01–17.5 बीघा भूमि से बेदखल कर इसका कब्जा वादी को दिलवाये। अन्तरवर्ती क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का अनुतोष खारिज किया जाता है। जांच रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर दिनांक 24.05.2023 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)